NRrhlx<+ 'kklu
foRr rFkk ;kstuk foHkkx
e=ky;
nkÅ dY;k.k flag Hkou] jk;iqj

क्रमांक : 168 / वित्त / ब–4 / चार / 2012 रायपुर, दिनांक : 17 / 05 / 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :– संचित निधि से आहरित राशि को बैंक खातों में रखने के संबंध में।

———————

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 6 के अनुसार शासकीय धन आहरित कर बैंक खाते में जमा रखना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

^^tc rd fdlh fof/k vFkok vkns'k ;k fu;e ftldk ol/kkfud Lo:i gks ls vf/kd`r u gks] foRr foHkkx dh iwokZuqefr ds fcuk lafpr fuf/k rFkk yksd ys[kk ls fofu;ksx ;k vU;= tek djus gsrq jkf'k ugha fudkyh tk ldrh gSA

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग–एक के सहायक नियम 284 में भी निम्नानुसार उल्लेख है :–

''कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना एक गम्भीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।''

कतिपय विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसे प्रकरणों में अग्रिम आहरित की गई राशि के समायोजन के संबंध में कोषालय संहिता में यह प्रावधान है कि, **^^vLFkk;h vfxze tgka rd lEHko gks lds] 'kh?kkfr'kh?k lek;kftr djk ysuk pkfg, rFkk fdlh Hkh n'kk esa rhu ekg ls vf/kd ds fy, lek;kstu foyfEcr ugha fd;k tkuk pkfg,A**

2. किन्तु यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधानों की अनदेखी कर राज्य / केन्द्र शासन की योजनाओं की

बजट में प्रावधानित राशि को आहरित कर संबंधित मदों में शीघ्र व्यय न करते हुए बैंक खातों में रखा जा रहा है। इस प्रकार राशि राज्य के खाते से आहरित करने से न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है, अपितु शासन को ब्याज की हानि भी होती है।

3. **vr% ,sls leLr vkgj.k] tks fd jkT; ds ctV esa ;kstukvksa gsrq iko/kkfur dh xbZ jkf'k ls lacaf/kr gks rFkk ftuesa jkT; dh lafpr fuf/k ls vkgfjr jkf'k cSad [kkrs esa j[kh xbZ gS] dh foHkkxk/;{kokj tkudkjh fuEukuqlkj i=d esa 15 twu] 2012 rd vfuok;Zr% foRr foHkkx dks izsf"kr dh tk, %&**

foHkkxk/;{k dk inuke

Ø-	;kstuk dk uke	cSad esa tek jkf'k ¼1@5@2012 dh fLFkfr esa½	tek djus dk fnukad	cSad dk uke	D;k cSad [kkrk [kksyus ds fy, foRr foHkkx dh vuqefr izkIr gS ¼gka@ugha½

4. कृपया विभागाध्यक्ष से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि विषयांतर्गत उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि बैंक खातों में नहीं रखी गई है।

¼Mh-,l- feJ½
प्रमुख सचिव,
वित्त तथा योजना विभाग

पृ. क्रमांक : 169/वित्त/ब–4/चार/2012 रायपुर, दिनांक : 17/05/2012

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव,
वित्त तथा योजना विभाग